

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

ए.पी.एल.छात्रों को निःशुल्क गणवेश प्रदाय के लिए ` 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 से 5**

प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ` 3194.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 31,94,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6 से 9**

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ` 1790.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 17,90,90,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

नारायणपुर में 500 सीटर बुनियादी आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए आकस्मिकता निधि से ` 10.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है । इसकी प्रतिपूर्ति हेतु ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

अनुसूचित जनजाति वर्ग के 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को सायकल प्रदाय हेतु ` 192.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,92,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 12**

नारायणपुर में 500 सीटर बुनियादी आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 13**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ` 1739.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 17,39,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 14 से 15**

1. अशासकीय संस्था रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित विवेकानंद विद्यापीठ में 3 चरणों में 400 सीट वृद्धि किया जाना है । प्रथम चरण में 150 सीट वृद्धि करने हेतु ` 17.00 लाख का व्यय संभावित है ।

2. अशासकीय संस्था रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर के सभा भवन को सुसज्जित करने हेतु ` 8.70 लाख एवं फर्नीचर, बर्तन, वाहन एवं जनरेटर क्रय हेतु ` 86.40 लाख इस प्रकार कुल ` 95.10 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,12,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2203**

**मद क्रमांक 16**

इंजिनियरिंग महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप वितरण हेतु ` 600.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2216

### मद क्रमांक 17 से 18

इंदिरा आवास योजना हेतु अतिरिक्त राज्यांश ` 1558.13 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 15,58,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 19

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को अनुदान हेतु ` 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 20

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को अनुदान हेतु ` 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 21 से 22

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अधोसंरचना अनुदान के लिए ` 316.40 लाख एवं शत प्रतिशत पोषित योजनाओं हेतु अनुदान के लिए ` 1778.00 लाख इस प्रकार कुल ` 2094.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 20,94,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 23 से 24

माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अधोसंरचना अनुदान के लिए ` 51.40 लाख एवं शत प्रतिशत पोषित योजनाओं हेतु अनुदान के लिए ` 120.90 लाख इस प्रकार कुल ` 172.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,72,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 25

आई.टी.आई. कोंटा से आई.टी.आई. सुकमा स्थान परिवर्तन किये जाने हेतु ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 26 से 28

महिला उत्थान यात्रा के आयोजन हेतु ` 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 29

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु ` 1700.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 17,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 30

प्रदेश के निर्धन युवक-युवतियों के विवाह हेतु ` 125.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 31

अन्त्योदय अन्न योजना में नवीन अति गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत ₹ 836.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 32

प्रदेश के बालोद और अंबिकापुर सहकारी शक्कर कारखानों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु गन्ना उत्पादक कृषकों को वर्तमान में देय ₹ 3000.00 प्रति एकड़ के स्थान पर ₹ 5000.00 प्रति एकड़ की दर से बीज वितरण/परिवहन अनुदान हेतु ₹ 34.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु ₹ 34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2405

### मद क्रमांक 33

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ₹ 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 34

समर्थन मूल्य पर अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अनुदान मद में ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2408

### मद क्रमांक 35

अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत ₹ 282.01 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,82,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2408

### मद क्रमांक 36

21 आदिवासी विकासखण्डों में राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलोग्राम तथा शेष 64 आदिवासी विकासखण्डों में 01 किलोग्राम अतिरिक्त चना प्रदाय हेतु ₹ 3131.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 31,31,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2425

### मद क्रमांक 37

लघु एवं सीमान्त कृषकों के अल्पकालीन ऋण माफ करने हेतु ₹ 1059.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,59,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2801

### मद क्रमांक 38

एकल बत्ती कनेक्शन हेतु राशि ₹ 1842.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ₹ 18,42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2810

### मद क्रमांक 39

सोलर लैम्प/सोलर स्टडी लैम्प का निःशुल्क प्रदाय योजना अंतर्गत राशि ₹ 160.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2852**

**मद क्रमांक 40**

औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान के अंतर्गत राशि ` 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 41**

नारायणपुर में 500 सीटर बुनियादी आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण के लिए आकस्मिकता निधि से ` 90.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है । इसकी प्रतिपूर्ति हेतु ` 90.00 लाख एवं अतिरिक्त ` 110.00 लाख का व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 42**

विश्व बैंक योजनान्तर्गत संचालित मिनी आई.टी.आई. के लिए मशीन उपकरण क्रय हेतु आकस्मिकता निधि से ` 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है । इसकी प्रतिपूर्ति हेतु ` 100 के प्रतीक प्रावधान आवश्यक है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 43**

श्रवण बाधितों हेतु संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल धरमपुरा, जगदलपुर के शाला भवन निर्माण हेतु ` 56.22 लाख एवं बालिकाओं के लिए 50 सीटर छात्रावास भवन निर्माण हेतु ` 50.00 लाख कुल ` 106.22 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,06,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4702**

**मद क्रमांक 44**

निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है :-

1. कोरिया जिले के मवई व्यपवर्तन योजना (अनुमानित लागत ` 2500.00 लाख) पर इस वर्ष ` 5.00 लाख व्यय संभावित है ।
2. बिलासपुर जिले के बगबुड़वा जलाशय (अनुमानित लागत ` 582.00 लाख) पर इस वर्ष ` 5.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 45**

कोरबा जिले की हसदेव नदी पर सर्वमंगला एनीकट निर्माण (अनुमानित लागत ` 4431.00 लाख) हेतु आकस्मिकता निधि से 100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु 100 प्रतीक प्रावधान किया गया है । निर्माण कार्य पर इस वर्ष ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है, जो विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 46**

1. सरगुजा जिले के नर्मदापारा एनीकट निर्माण (अनुमानित लागत ` 390.00 लाख) पर इस वर्ष ` 5.00 लाख व्यय संभावित है ।
2. सरगुजा जिले के उदयपुर दाब एनीकट निर्माण (अनुमानित लागत ` 580.00 लाख) पर इस वर्ष ` 5.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु १०,००,००० के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 6425**

**मद क्रमांक 47**

सहकारी शक्कर कारखाना, अम्बिकापुर को गन्ना पेराई हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए ११००.०० लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ११,००,००,००० के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।